भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.**1984** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पोत मुद्रीकरण परियोजना

†1984. श्री इमरान मसूद :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पोत मुद्रीकरण से अनुमानित राजस्व लक्ष्य का पोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पोत मुद्रीकरण परियोजनाओं के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने तथा प्रतिस्पर्धी किन्तु निष्पक्ष निलामी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यनीतियां और तंत्र अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त कार्यनीतियां और तंत्रों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा मुद्रीकरण प्रक्रिया की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग):महापत्तन प्राधिकरण और रियायतप्राप्तकर्ता के बीच राजस्व शेयर/रॉयल्टी पर खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वाराएक निर्धारित अवधि के लिए रियायत करार के माध्यम से विशिष्ट परियोजनाओं/बर्थों/टर्मिनलों हेतुमहापत्तनों में निजी क्षेत्र भागीदारी को अनुमति दी गई है। रियायत अवधि समाप्त होने के पश्चात्,पत्तन प्राधिकरण कोपरिसंपत्ति सौंप दी जाती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, लगभग 10,000 करोड़ रु. के निवेश का लक्ष्य,वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन (7,055 करोड़ रु.), दीनदयाल पत्तन (1,880 करोड़ रु.) तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (1,065 करोड़ रु.) को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को सौंपा कर पूरा किया जाना है। इन परियोजनाओं पर पहले ही सरकार ने अनुमोदन कर दिया गया है। अधिक स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रतिस्थापित करके महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का अधिनियमन, मॉडल रियायत करार (एमसीए)का संशोधन तथा पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशोंको निरुपित किया गया है।

*****